न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 15/2025

तारीख रजू:– 23.06.2025

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. मीरा पत्नि दरियाव जाति जाटव निवासी करसोली तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान। ———————————— प्रार्थीया

बनाम

1. तहसीलदारजी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 आरएलए(पत्थरगढ़ी)

उपस्थित :– 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :– 17.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट (पत्थरगढ़ी) विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 1252/2 रकवा 0.17 है0 स्थित ग्राम करसोली तहसील हिण्डौन वादी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है जिसकी हिस्सेदारी एवं बटवारे को लेकर खातेदारान् के मध्य आपस में कोई विवाद नहीं है और पडौसी खातेदारान ने आपसी सहमति से मौके पर बाहमी बटवारा किया हुआ है जिसका आपस में कोई विवाद नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि प्रार्थीया अपने हिस्से की खातेदारी को स्वंय ही काश्त करता चला आ रहा है और पडौसियों से किसी प्रकार का विवाद नही है लेकिन भविष्य में उक्त आराजीयात को लेकर डौल–मेढ का विवाद उत्पन्न न हो इसलिये प्रार्थीया अपनी उक्त आराजी स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन सिटी की पत्थरगढी जरिये हल्का पटवारी कराना चाहता है जिससे खेत के पडोसियों से प्रार्थीया के मधुर सम्बन्ध कायम रह सके एवं प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अपने खातेदारी के खेतों की सुरक्षा भी वैधानिक रूप से कर सके उक्त उद्देश्य की पूर्ति बाबत प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि वांका दिनांक 05.06. 2025 को प्रार्थी द्वारा तहसीलदारजी तहसील हिण्डौन से पत्थरगढी बाबत निवेदन किया तो श्रीमानजी ने सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत फरमायी है इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमानजी को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र निश्चित कोर्ट फीस पर पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि प्रार्थनापत्र 128एलआर एक्ट के प्रावधानों के तहत पेश किया जा रहा हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी स्थित ग्राम कटकड, तहसील हिण्डौन की पत्थरगढी के आदश प्रदान फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्राथी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील प्रार्थीया ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2070—73, नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान पेश किये हैं।

वकील प्रार्थीया उपस्थित। वकील प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौनसिटी (करौली)

वकील प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1252/2 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम बाढ करसौली तहसील हिण्डौन की खातेदारी मीरा पत्नि दरियाबसिंह जाति जाटव निवासी बाढ करसौली तहसील हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया विवादित आराजी खसरा नम्बर 1252/2 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम बाढ करसौली तहसील हिण्डौन की खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 1252/2 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम बाढ करसौली तहसील हिण्डौन का विधिवत रूप से सीमाज्ञान कराते हुए पत्थरगढी कराने की अधिकारी है। इसलिए उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1252/2 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम बाढ करसौली तहसील हिण्डौन का सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराते समय यदि तहसीलदार हिण्डौन को यह अंदेशा हो कि मौके पर आम शान्ति भंग हो सकती है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार पुलिस जाप्ता की मांग कर सकता है। ऐसे हालात में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुॅचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1252/2 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम बाढ करसौली तहसील हिण्डौन का मौके पर नियमानुसार सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निश्चित करते हुए प्रार्थीया को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराते समय यदि तहसीलदार हिण्डौन को यह अंदेशा हो कि मौके पर आम शान्ति भंग हो सकती है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार पुलिस जाप्ता की मांग कर सकता है। प्रार्थीया को आदेशित

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार हिण्डौन के यहॉ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डौन एक माह में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 17.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/2/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली